कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 60/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना– तहबरपुर, जनपद– आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास

दिनांक 11.02.2026 को थानाध्यक्ष थाना तहबरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2026 धारा 2(ख)(II)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त राजू सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया, जो वांछित चल रहा था।

2. गिरफ्तारी का विवरण

श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.02.2026 को व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू सिंह पुत्र गुरूमित सिंह निवासी ग्राम बहेड़ थाना बस्सी पठाना जनपद फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) को किशुनदासपुर मोड़ से समय 12:30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

राजू सिंह पुत्र गुरूमित सिंह निवासी ग्राम बहेड़ थाना बस्सी पठाना जनपद फतेहगढ़ साहिब, राज्य पंजाब

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 18/2026 धारा 2(ख)(II)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 55/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव
2. का0 रत्नेश सिंह
3. का0 राकेश कुमार
4. का0 मिथिलेश साह थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना– फूलपुर, जनपद– आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

01. पूर्व की घटना/इतिहास

दिनांक 07.02.2026 को थाना फूलपुर पर एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 06.02.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 16 वर्ष) अपने छोटे भाई के साथ विद्यालय से घर लौटते समय रवि राजभर पुत्र रामआसरे राजभर निवासी ग्राम बन्दीपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा मोटरसाइकिल से आकर बहला-फुसलाकर कहीं ले जाई गई। काफी खोजबीन के बावजूद किशोरी का पता नहीं चल सका। यह भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्त पूर्व में चोरी-छिपे मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करता था।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम रवि राजभर पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 बासदेव मिश्रा द्वारा की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही / गिरफ्तारी का विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष फूलपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग एवं तलाश अभियान चलाया जा रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 11.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेतरा मोड़ से अभियुक्त रवि राजभर को समय 18:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रवि राजभर पुत्र रामआसरे राजभर निवासी ग्राम बन्दीपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 40/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 40/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (विवेचनाधीन)

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 बासदेव मिश्रा
2. हे0का0 अवधेश यादव
3. का0 श्रीकान्त

म0का0 अंजू सिंह थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– सरायमीर, जनपद– आजमगढ़

चाँदी-सोने का लालच देकर 02 लाख की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1,90,000/- बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.02.2026 को वादी श्री नन्दलाल निषाद पुत्र स्व0 जेठू निषाद निवासी ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि लगभग एक माह पूर्व धर्मेन्द्र पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ने झाड़-फूंक के बहाने उनसे संपर्क किया तथा अपने साथी रामआशीष मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी जमुवावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के पास 20 किलो चाँदी व 02 सोने की ईंट होने का लालच दिया।

दिनांक 10.02.2026 को छित्तेपुर पेट्रोल पम्प के पास दोनों अभियुक्तों ने वादी से ₹2,00,000/- लेकर कागज में लिपटे दो थैले थमा दिए और मौके से फरार हो गए। बाद में थैला खोलने पर उसमें पीतल के टुकड़े पाए गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस बनाम धर्मेन्द्र कुमार व रामआशीष मौर्या पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराह टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर खण्डवारी नहर पुलिया के पास दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर लगभग 20 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। तलाशी के दौरान उसके पास से धोखाधड़ी से प्राप्त ₹1,90,000/- नगद बरामद हुए। अभियुक्त को समय 17:07 बजे विधिक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त

1. रामआशीष मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी जमुवावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी

₹1,90,000/- नगद

गिरफ्तारी स्थान

खण्डवारी नहर पुलिया के पास, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 39/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रशान्त सिंह
2. उ0नि0 बासुदेव साहनी
3. उ0नि0 नीरज कुमार गौड़
4. का0 आदर्श कुमार
5. का0 अरविन्द्र कुमार गौतम
6. का0 सौरभ पाण्डेय थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– मेंहनगर, जनपद– आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास (संक्षेप में)

दिनांक 21.12.2025 को थाना मेंहनगर पर प्रार्थी निवासी ग्राम कतरा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 15.11.2025 को सायं लगभग 7:30 बजे घर से शौच हेतु निकली, जो वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि शिवा उर्फ गोलू पुत्र विशुन राम निवासी कतरा द्वारा मोटरसाइकिल से जाफरपुर की ओर ले जाया गया था, जिस पर उसका चाचा नगीना पुत्र स्व0 लौटन भी सवार था। यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में भी इसी प्रकार का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त शिवा उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रार्थी के अनुसार अभियुक्त नगीना द्वारा पूर्व मुकदमे में सुलह हेतु धमकी दी जाती थी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 546/2025 धारा 87, 137(2), 61(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 अनिल कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त नगीना कुमार पुत्र स्व0 लौटन कुमार निवासी ग्राम कतरा विषहम, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर क्षेत्र से समय 12:00 बजे गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नगीना कुमार पुत्र स्व0 लौटन कुमार निवासी ग्राम कतरा विषहम, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ (संबंधित मु0अ0सं0 546/2025 धारा 87, 137(2), 61(2), 351(3) बीएनएस)

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 546/2025 धारा 87, 137(2), 61(2), 351(3) बीएनएस थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 तुषार त्रिपाठी

हे0का0 अनिल कुमार थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– मुबारकपुर, जनपद– आजमगढ़

जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 11.02.2026 को वादी श्री अतुल कुमार जायसवाल पुत्र अरविन्द जायसवाल निवासी पुरा दीवान (गल्ला मण्डी) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 10.02.2026 को रात्रि लगभग 11:00 बजे विवाह समारोह में जाते समय समौधी तिराहे रोडवेज के पास पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण द्वारा उन्हें रोककर गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडा व रम्बा से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आए अन्य व्यक्तियों को भी मारपीट कर घायल कर जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम नामजद/अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान आशीष यादव सहित अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रामसूरत यादव उर्फ सूरत यादव निवासी मोहल्ला पुरा खिजिर, कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष को रामलीला मैदान मुबारकपुर से समय 07:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी जा रही है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

आशीष यादव पुत्र रामसूरत यादव उर्फ सूरत यादव निवासी मोहल्ला पुरा खिजिर, कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र– 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 43/26 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना– जीयनपुर, जनपद– आजमगढ़

एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास

मु0अ0सं0 196/2019 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ में अभियुक्त प्रदीप सिंह पटेल पुत्र जयबहादुर पटेल निवासी मकरोपुर (जमीन मोहम्मदपुर) थाना जीयनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज पाक्सो एक्ट, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वारण्ट निर्गत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त प्रदीप सिंह पटेल को ठण्डी सड़क शारदा चौक, आजमगढ़ से समय लगभग 06:40 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास** व 2000 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के 01 **आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 07.06.2007 को वादी मुकदमा अंगद यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त कान्ता पुत्र सोभित पासवान निवासी कुआँ देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को मारना पीटना, गली गलौज व धमकी देना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 59/07 धारा-323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 12.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त** कान्ता पुत्र सोभित पासवान निवासी कुआँ देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**